न्यायालयः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र. (समक्ष : पंकज शर्मा)

<u>व्य. वाद कमांक :- 89-ए/2014</u> संस्थित दिनांक :- 20/06/2013

01. श्रीमती बंसती पुत्री समोखन सिंह पत्नी फूल सिंह बघेल उम्र 44 वर्ष निवासी:— ग्राम छरेंठा (शेरपुर), तह.—गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.) हाल निवासी—ग्राम पुरावस, थाना:— सिहोनिया, जिला—मुरैना (म.प्र.)।

विरूद्ध

- 01. श्रीमती कलावती पुत्री समोखन पत्नी विजय सिंह बघेल उम्र 49 वर्ष निवासी: — ग्राम विचौला, जिला—मुरैना (म.प्र.)।
- 02. सियाराम बघेल पुत्र केदार सिंह बघेल उम्र 46 वर्ष
- 03. सीताराम बघेल पुत्र केदार सिंह बघेल उम्र 42 वर्ष
- 04. रामवरन बघेल पुत्र जय सिंह बघेल उम्र 59 वर्ष
- 05. रामौतार सिंह पुत्र जय सिंह बघेल उम्र 54 वर्ष निवासीगण :— ग्राम छरेंठा (शेरपुर), तह.—गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)
- 06. म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला–भिण्ड (म.प्र.)।

---- प्रतिवादीगण

<u>// निर्णय //</u> {आज दिनांक :— 06/05/2017 को घोषित किया}

- (01). वादी श्रीमती बंसती द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.880 स्थित ग्राम छरेंडा (ऐन्हों), के संदर्भ में स्वत्व ६ गोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।
- (02). प्रकरण में यह तथ्य वादी द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन का नाम अंकित है। यह तथ्य प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम छरेंडा में स्थित है। प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 द्वारा यह तथ्य भी स्वीकृत है कि वादी बंसती प्रतिवादी क्रमांक 02 कलावती, प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन की पुत्रियाँ है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन का कोई पुत्र नहीं है। वादी द्वारा

हस्तगत वाद में उसके पिता समोखन पुत्र भोगीराम को प्रतिवादी क्रमांक 01 के रूप में संयोजित किया गया था। वाद लम्बन काल में समोखन की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक : 29/06/2016 के आदेशानुसार समोखन का नाम वाद से विलोपित किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 के मध्य राजीनामा हो चुका है।

- स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन के तथ्य संक्षेप में (03).सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी कृमांक 01 समोखन भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। वादग्रस्त भूमि समोखन को उसके पिता भोगीराम से विरासत में प्राप्त हुई थी, इसलिए वादग्रस्त भूमि सहदायिक सम्पत्ति है और वादी बंसती, प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन की पुत्री होने के कारण वादग्रस्त भूमि में उसके साथ सहदायिक है। वादी की एक बहिन प्रतिवादी क्रमांक 01 कलावती है एवं वादी का कोई भाई नहीं है। वादी की मॉ अर्थात् मृत समोखन की पत्नी रामबेटी की दिनांक : 20/03/2013 को मृत्यु हो चुकी है। समोखन वृद्ध था, जिसे दिखाई एवं सुनाई नहीं देता था। प्रतिवादी कमांक 02 एवं 03 वादी के पिता समोखन के भाई केदार के पुत्रगण है, ऐसे ही प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 वादी के पिता समोखन के भाई जय सिंह के पुत्रगण है। वादी के चचेरे भाई प्रतिवादी कमांक 02 लगायत 05 ने वादी की बहिन प्रतिवादी क्रमांक 01 कलावती के साथ साजिश करके, पिता समोखन को बहला–फुसलाकर बिना सही जानकारी दिये वादग्रस्त भूमि का दिखावटी विक्रय पत्र दिनांक : 15/04/2013 निष्पादित करा लिया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 01 कलावती की सहमति अंकित की गई। उक्त कृत्य वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के हितों को हड़पने के उद्देश्य से किया गया। समोखन को उक्त विक्रय का कोई प्रतिफल भी प्रदान नहीं किया गया। इसलिए उक्त विक्रय पत्र वादी के हितों के विरूद्ध शून्य है। वादी को उक्त विक्रय पत्र दिनांक : 15 / 04 / 2013 की जानकारी होने पर उसके द्वारा दिनांक : 30 / 05 / 2013 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर की जा रही नामांतरण कार्यवाही में आपत्ति की गई, परन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामांतरण करा लिया। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को अन्यंत्र विक्रय करने के लिए प्रयासरत है, जिसकी जानकारी वादी को दिनांक : 02/12/2015 को हुई। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जाये कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.880 स्थित ग्राम छरेंटा ऐन्हों के 1/2 भाग की सहदायिक होने के कारण स्वामी है और उसके पिता समोखन द्वारा प्रतिवादी कमांक 02 लगायत 05 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक : 05 / 04 / 2013 वादी के हितों के विरूद्ध शून्य है और उक्त विक्रय पत्र को निरस्त किया जाये। वादी द्वारा यह अनुतोष भी चाहा गया है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से में उसके कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न ना करें।
- (04). प्रतिवादी क्रमांक 01 श्रीमती कलावती एवं प्रतिवादी क्रमांक 06 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक तामील के उपरांत भी वह या उनकी ओर से

कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है और प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कोई वादोत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

- (05). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक या सहदायिक सम्पत्ति नहीं है। मृतक समोखन ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक : 15/04/2013 को वादग्रस्त भूमि का विक्य पत्र प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 के पक्ष में निष्पादित किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के नामांतरण में जो असत्य आपत्ति पेश की गई थी, वह निरस्त की जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 का नामांतरण स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्यरत है। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।
- (06). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :— 26 / 08 / 2015 को वाद—प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :—

कमांक वाद प्रश्न निष्कर्ष

01. क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.880 स्थित ग्राम छरेंडा (ऐन्हों), के 1/3 भाग की प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 कलावती के साथ सहदायिक होने के कारण सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है? ''वादी बसंती वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.88 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर की की स्वामी एवं आधि— आधिपत्यधारी है''।

02. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?

''प्रमाणित''

03. क्या वादी के पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 समोखन द्वारा दिनांक : 15/04/2013 को प्रतिवादी कं. 03 लगायत 06 के पक्ष में निष्पादित किया गया वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र कपट या मिथ्या व्यपदेशन पर आधारित होने के कारण या अधि— कारिताविहीन होने के कारण वादग्रस्त भूमि की

"0.30 हैक्टेयर भूमि की सीमा तक शून्य"

व्य. वाद कं. : 89-ए/14

1/3 भाग की सीमा तक शून्य अथवा शून्य करणीय है?

04. क्या वादी द्वारा कब्जा वापिसी का अनुतोष न चाहे जाने के कारण उसका वाद धारा 34 विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अप्रचलनीय है? ''अप्रमाणित''

05. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्याकंन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?

''प्रमाणित''

06. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?

वाद निर्णय के पद क्रमांक 13 के अनुसार प्रमाणित पाये जाने से आज्ञप्त किया गया।

//निष्कर्ष एवं आधार//

वाद प्रश्न कमांक : 01

वाद लम्बनकाल में दिनांक : 10/02/2017 को वादी बसंती, (07).प्रतिवादी क्रमांक 02 सियाराम, 03 सीताराम, 04 रामवरन, 05 रामौतार ने उनके अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रमांक 01 कलावती द्वारा राजीनामा प्रस्तुत ना किये जाने के कारण एवं वादी द्वारा उसके विरूद्ध अनुतोष चाहे जाने के कारण हस्तगत वाद राजीनामे के आधार पर तत्समय निराकृत नहीं किया गया। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 ने उनके राजीनामा आवेदन में यह व्यक्त किया है कि उनका वादग्रस्त भुमियों के संबंध में स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के राजीनामा हो गया है और उक्त राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.88 हैक्टेयर के 0.30 हैक्टेयर अर्थात् डेढ़ बीघा भाग की स्वामी वादी बंसती रहेगी और उसे राजीनामे के अनुसार प्रदत्त 0.30 हैक्टेयर भाग वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 के भूरे सिंह सिकरवार की खेत की तरफ का रहेगा। शेष 0.58 हैक्टेयर भाग प्रतिवादी क्रमांक 02 सियाराम, 03 सीताराम, 04 रामवरन, 05 रामौतार का होगा, जो वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 में राजेश बघेल के खेत की तरफ का होगा। राजीनामा एवं उसके अनुसार लेखबद्ध किये गये राजीनामा कथनों में राजीनामा के पक्षकारों द्वारा यह व्यक्त किया गया कि राजीनामा दिनांक : 10 / 02 / 2017 के अनुसार वादी बसंती के पिता समोखन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक : 15 / 04 / 2013 वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.88 हैक्टेयर में से 0. 30 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अवैध एवं शून्य होगा और उक्त राजीनामे के आलोक में वादी का वाद अंशतः डिक्री किये जाने एवं अंशतः निरस्त किये जाने

में राजीनामे के पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तृत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाब या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। उल्लेखनीय है कि वादी बसंती की बहन एवं समोखन की पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 01 कलावती प्रकरण में समन के सम्यक् निर्वाह के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुई है और उसके द्वारा कोई वादोत्तर प्रस्तृत नहीं किया है। वादी बंसती की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक : 15 / 04 / 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसकी बहिन एवं समोखन की पुत्री प्रतिवादी कमांक 01 कलावती विक्रय पत्र दिनांक : 15/04/2013 की सहमतिकर्ता पक्षकार थी। ऐसी दशा में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन एवं राजीनामा कथनों में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.88 हैक्टेयर के 0.30 हैक्टेयर भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष ''वादी बसंती वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 क्षेत्रफल 0.88 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है'' के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक : 02

(09). वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक : 10/02/2017 एवं लेखबद्ध किये गये राजीनामा कथनों में प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वह लोग राजीनामे के अनुसार वादी को प्राप्त वादग्रस्त भूमि के भाग में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगें। प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा दर्शित उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा था। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक : 03

(10). वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक : 10/02/2017 एवं लेखबद्ध किये गये राजीनामा कथनों में प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादी बंसती के पिता समोखन द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक : 15/04/2013 राजीनामा दिनांक : 10/02/2017 के आलोक में सर्वे क्रमांक 791 स्थित ग्राम छरेंडा ऐन्हों की वादग्रस्त विक्रीत भूमि में से वादी बंसती को प्रदत्त 0.30 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अवैध एवं शून्य होगा। ऐसी दशा में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन एवं राजीनामा कथनों में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि विक्रय पत्र दिनांक : 15/04/2013 वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 791 की

0.30 हैक्टेयर भूमि की सीमा तक शून्य है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष ''0.30 हैक्टेयर भूमि की सीमा तक शून्य'' के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक : 04

(11). इस वाद प्रश्न के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी बंसती द्वारा स्वयं को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी होना दर्शित करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उन्हें आधिपत्य वापिसी की सहायता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राजीनामा दिनांक: 10/02/2017 एवं उसके अनुशरण में लेखबद्ध किये गये राजीनामा कथनों में प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 में वादी बंसती को वादग्रस्त भूमि के 0.30 हैक्टेयर भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी माना है। अतः वादी द्वारा आधिपत्य वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण उसका वाद अप्रचलनीय नहीं है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष ''अप्रमाणित'' के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक: 05

(12). हस्तगत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :— 7 (IV) C न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतत्रंता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 340 /— रूपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600 /— रूपये न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो कि जो कि पर्याप्त एवं उचित है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय}

- (13). उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी बसंती एवं प्रतिवादी कमांक 02 सियाराम, 03 सीताराम, 04 रामवरन, 05 रामौतार द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक : 10/02/2017 स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाब या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मित से किया गया प्रतीत होता है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। फलतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आलोक में वादी का वाद अंशतः स्वीकार कर अग्रानुसार आज्ञप्त किया जाता है:—
 - (01). यह घोषित किया जाता है कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 791 क्षेत्रफल 0.88 हैक्टेयर स्थित ग्राम छरेंडा ऐन्हों की राजीनामा दिनांक : 10/02/2017 में उल्लेखित 0.30 हैक्टेयर भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

- (02). प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से कोई हस्तक्षेप ना करें।
- (03). राजीनामा दिनांक : 10/02/2017 के आलोक में वादी बंसती के पिता समोखन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 के पक्ष में निष्पादित वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक : 15/04/2013 राजीनामा द्वारा विक्रीत भूमि में से वादी बंसती को प्रदत्त 0.30 हैक्टेयर भूमि भाग के संबंध में शून्य घोषित किया जाता है।
- (04). उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।
- (05). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (14). तद्नुसार आज्ञप्ति बनाई जाये। वादी बंसती एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 05 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10/02/2017 एवं राजीनामा कथन आज्ञप्ति का अभिन्न भाग होगीं।

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.